(दिल्ली के असाधारण राजपत्र के भाग–4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(सहकारिता विभाग)

पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

संख्या आर0सी0एस0 / पालिसी / 07 / 628 दिनांक : 31.7.08

अधिसूचना

संख्या आर0सी0एस0 / पालिसी / 07 / 628 दिल्ली सहकारी अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारूप –
   (1) ये नियम दिल्ली सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2008 कहे जाएंगे।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 19 में संशोधन – दिल्ली सहकारी समिति नियमावली 2007 के नियम 19 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियमों को समिविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :–

"(3) पंजीयक सहकारी समिति नियमावली, 1973 (दिनांक 19 अक्तूबर 2007 की अधिसूचना संख्या फा0 संख्या 37(पालिसी) / आर0सी0एस0 / 142 द्वारा निरस्त) के नियम 24 के उपनियम (2) के उल्लंघन में सहकारी समिति द्वारा 2 जुलाई 2007 तक नामांकित सदस्य या सदस्यों की तरफ से, सहकारी समिति द्वारा आवेदन पर इन सदस्यों की सदस्यता को विनियमित कर सकते हैं।

(4) उपनियम (3) में कुछ भी रहते हुए पंजीयक द्वारा इस प्रकार विनियमित किए जाने पर किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत आपराधिक या सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

जे के दादू

(जे0के0 दादू)
सचिव (सहकारिता)